कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email-jdanic-jod-rj@nic.in osc&lkbZV jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / बैठक / 2022 / 964 दिनांक :: 07 जनवरी, 2022

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री कमर चौधरी, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित सदस्य / अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध हैं।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2021 मे लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

गत बैठक दिनांक **15 दिसम्बर 2021** का कार्यकारी समिति विवरण जारी किया जाकर सभी को प्रेषित किया जा चुका है। अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक **15 दिसम्बर 2021** का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन करते हुए जारी कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के सेवारत नियमित अधिकारियों एंव कर्मचारियों को राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना (RGHS) की सुविधा उपलब्ध करवाने बाबत्।

क्रं.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा / प्रस्ताव
01.	जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के सेवारत नियमित अधिकारियों एंव कर्मचारियों को राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना (RGHS) की सुविधा उपलब्ध करवाने बाबत्।	एजेण्डा कार्यकारी समिति की बैठक में रखने की अभिशंषा की जाती हैं।

परियोजना निदेशक, राज्य बीमा एंव प्रावधायी निधि विभाग, (RGHS) राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.1 (258) मेडि. / SAB LETTER / 20–21 / 883 दिनांक 01.09.2021 के अन्तर्गत राज्य की स्वायत्तशासी संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों एंव कर्मचारियों को राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना (RGHS) के अन्तर्गत कैशलेस इनडोर, डे–केयर चिकित्सा एंव आउटडोर की सुविधा प्रदान की जायेगी उक्त योजना के अन्तर्गत 5.00 लाख प्रतिवर्ष प्रति परिवार चिकित्सा एंव गंभीर बिमारियों के ईलाज के पेटे अतिरिक्त 5.00 लाख का लाभ दिया जायेगा।

(RGHS) के लिए अंशदान रूपये 6,100 / – प्रति कार्मिक प्रतिवर्ष फैमेली फलोटर बेसिस पर देय होगा एंव यह अंशदान एक मुश्त (1 वर्ष के लिए देना होगा)

प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण के प्रत्येक नियमित सेवारत अधिकारी एंव कार्मिक प्रतिवर्ष राशि 6,100 / -- के हिसाब से बजट में मद स्वीकृत किया जाना हैं, तथा इस राशि का पुर्नभरण हेतु सम्बन्धित प्रत्येक कार्मिक के प्रतिमाह वेतन में से निर्धारित स्लेब अनुसार कटौती कि जायेगी। वर्तमान

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के लगभग 125 अधिकारी एंव कार्मिको (प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों एंव कार्मिको को छोडकर) तथा प्राधिकरण में नवनियुक्त होने वाले कार्मिको को राज्य सरकार की (RGHS) योजना में शामिल किये जाने का निर्णय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में विचारार्थ एंव उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से 6100/— रूपये प्रति अधिकारी/कर्मचारी के हिसाब से समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की राशि एक मुश्त जमा करवाये जाने तथा उक्त राशि 6100/— रूपये को किश्तों में विभक्त कर समान राशि प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी से किश्तों में प्रति माह उनके वेतन से काटकर प्राधिकरण कोष में जमा करवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: नगर निगम उत्तर के जोनल डवलपमेंट प्लान को अन्तिम रूप दिये जाने के संबंध में।

जोधपुर शहर के मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 क्षैत्र के जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने के क्रम में नगर निगम उत्तर, जोधपुर का जोनल डवपलमेंट प्लान प्रारूप तैयार किया जाकर इसके प्रारूप पर आमजन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 19.11.2021 को अधिसूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में प्राप्त आपत्ति/सुझावों का विश्लेषण कर नगर निगम–उत्तर द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत गठित एम्पावर्ड समिति की बैठक दिनांक 24.12.2021 को आयोजित की गई। उक्त समिति की रिपोर्ट जरिये पत्रांक 12930 दिनांक 27.12.2021 को प्राधिकरण में प्राप्त हुई। नगर निगम उत्तर जोन के प्रारूप पर प्राप्त आपत्तियों के संबंध में नगर निगम उत्तर द्वारा तैयार रिपोर्ट पर विचार कर नगर निगम उत्तर जोन के जोनल डवपलमेंट प्लान को अंन्तिम रूप दिया जाना है। अतः कार्यकारी समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवम् विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में निदेशक–आयोजना ने इस संबंध में नगर निगम, जोधपुर–उत्तर द्वारा प्रस्तुत आपत्ति सुझावों के निसतारण संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जो इस कार्यवाही का भाग परिशिष्ट–2 है। बैठक में प्रस्तुत आपत्ति/सुझाव पर विचार विमर्श कर निम्नलिखित आपत्तियों के संबंध में निर्णय लेते हुए शेष रिपोर्ट का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

1— आपत्ति संख्या–34 (आपत्तिकर्ता श्री फताराम पुत्र श्री अर्जुनराम भील) के संबंध में निर्णय लिया गया कि फायरिंग रेंज की मौका स्थिति अनुसार फायरिंग रेंज की सीमा दर्शायी जावे एवं फायरिंग रेंज की सीमा के साथ 100 फीट चौडी सडक दर्शायी जावे। आपत्ति में प्रस्तुत कमीटमेंट की 60 फीट चौडी सडक को उत्तर दिशा की ओर विद्यमान सडक तक दिखाया जावे तथा उत्तर दिशा में स्थित सडक का मार्गाधिकार 60 फीट चौडा रखा जाकर जोनल डवलपमेन्ट प्लान में दर्शाया जाना प्रस्तावित है।

2— आपत्ति संख्या–40 (आपत्तिकर्ता एडवोकेट श्री जितेन्द्र कुमार गुर्जर) के संबंध में निर्णय लिया गया कि इस सडक को चौडी करने का कार्य प्रस्तावित है। अतः सूरसागर बाईपास से चांदपोल तक सडक का मार्गाधिकार 24 मीटर चौड़ा मास्टर प्लान/जोनल प्लान अनुसार ही रखा जाना प्रस्तावित है।

3— आपत्ति संख्या–42 (आपत्तिकर्ता श्री मदनसिंह राठौड़) के संबंध में निर्णय लिया गया कि जोनल डवलपमेन्ट प्लान में जलीय इकाई (वाटर बॉडी) का अंकन राजस्व मानचित्र के आधार पर दर्शाया जाना प्रस्तावित है।

4— आपत्ति संख्या—57 (आपत्तिकर्ता करणी डवलपमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन) के संबंध में निर्णय लिया गया कि माचिया पार्क की सीमा का सही अंकन कर शेष भूमि का भू—उपयोग जोनल डवलपमेन्ट प्लान में समीपीय उपयोग अनुसार दर्शाया जाना प्रस्तावित है।

5— इसके अतिरिक्त नगर निगम, जोधपुर—उत्तर की एम्पावर्ड कमेटी द्वारा जोनल डवलपमेन्ट प्लान (प्रारूप) में प्रस्तावित चार निम्नलिखित विशेष सड़कों का मार्गाधिकार तय करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:—

(1) आसूजी की प्याउ से अमृतलाल स्टेडियम होते हुए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय तक
(2) मण्डोर पुलिस स्टेशन से गोकुलजी की प्याऊ होते हुए भाटी सर्कल से रामसागर सर्कल तक
(3) नागौरीगेट से महामंदिर चौराहे तक
(4) नागौरीगेट से राम मोहल्ला रोड से महात्मा फुलेराव पार्क तक

जिस पर बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि कम संख्या 1 व 2 में वर्णित सडक का मार्गाधिकार निर्धारित करने हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावे एव कम संख्या 3 पर अंकित सडक का मार्गाधिकार नगर निगम, जोधपुर—उत्तर के प्रस्तावानुसार 18 मीटर चौड़ा रखा जाना प्रस्तावित है। कम संख्या 4 पर अंकित सडक का मार्गाधिकार मास्टर प्लान—2031 अनुसार 30 मीटर चौड़ा रखा जाना प्रस्तावित है।

इस प्रकार नगर निगम, जोधपुर—उत्तर के जोनल डवलपमेन्ट प्लान पर निर्णय लिया जाकर उक्त जोनल प्लान को अन्तिम रूप से स्वीकृत करने की अधिकारिता प्राधिकरण में निहित होने से बिन्दु संख्या 1 से 4 के प्रस्ताव अनुमोदन हेतु एवं बिन्दु संख्या 5 पर विचार विमर्श उपरान्त समुचित निर्णय लेने हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: नगर निगम दक्षिण के जोनल डवलपमेंट प्लान को अन्तिम रूप दिये जाने के संबंध में।

जोधपुर शहर के मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 क्षैत्र के जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने के क्रम में नगर निगम दक्षिण, जोधपुर का जोनल डवपलमेंट प्लान प्रारूप तैयार किया जाकर इसके प्रारूप पर आमजन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 19.11.2021 को अधिसूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में प्राप्त आपत्ति/सुझावों का विश्लेषण कर नगर निगम—दक्षिण द्वारा कार्यपालक समिति की बैठक दिनांक 22.12.2021 को आयोजित की गई। उक्त समिति की रिपोर्ट जरिये पत्रांक 2601 दिनांक 24.12.2021 को प्राधिकरण में प्राप्त हुई। नगर निगम दक्षिण जोन के प्रारूप पर प्राप्त आपत्तियों के संबंध में नगर निगम दक्षिण द्वारा तैयार रिपोर्ट पर विचार कर नगर निगम दक्षिण जोन के जोनल डवपलमेंट प्लान को अंन्तिम रूप दिया जाना है। अतः कार्यकारी समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवम् विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में निदेशक—आयोजना ने इस संबंध में नगर निगम, जोधपुर—दक्षिण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति सुझावों के निस्तारण संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की। जो इस कार्यवाही का भाग परिशिष्ट—3 है। बैठक में प्रस्तुत आपत्ति/सुझावों पर विचार विमर्श कर निम्नलिखित आपत्तियों के संबंध में निर्णय लेते हुए शेष रिपोर्ट का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

1— आपत्ति संख्या—4, 12, 14, 16, 17, 18, 24, 26, 27, 28, 39 एवं 43 (आपत्तिकर्ता श्री विमलेश एवं अन्य) के संबंध में निर्णय लिया गया कि रातानाड़ा से सर्किट हाऊस तक सडक के मार्गाधिकार बाबत् नगर निगम दक्षिण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार इस सडक की विद्यमान चौड़ाई व इस सडक पर हुऐ पूर्व कमिटमेन्ट के आधार पर इसका मार्गाधिकार 100'—120' रखे जाने का प्रस्ताव दिया है। अतः नगर निगम—दक्षिण के प्रस्ताव, विद्यमान मार्गाधिकार एवं सडक मार्गाधिकार पर विद्यमान भवन रेखाओं के दृष्टिगत रातानाड़ा भाटी सर्कल से गणेश मंदिर तिराहा तक सड़क का मार्गाधिकार 120 फीट एवं गणेश मंदिर तिराहा से सर्किट हाउस तक मास्टर प्लान अनुसार सडक मार्गाधिकार यथावत् रखा जाना प्रस्तावित है।

2– आपत्ति संख्या–5 व 13 (आपत्तिकर्ता श्री सूरज कुमार एवं अन्य) के संबंध में निर्णय लिया गया कि पांचवी रोड चौराहा से बारहवीं रोड चौराहा तक सडक का मार्गाधिकार बाबत् नगर निगम दक्षिण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में मौके पर उपलब्ध मार्गाधिकार व 12वी रोड से पावटा सर्किल तक पूर्व में निर्धारित सडक मार्गाधिकार के दृष्टिगत 100'–120' फीट रखा जाना प्रस्तावित किया है। अतः नगर निगम के प्रस्ताव व सडक की समरूप निरन्तरता के दृष्टिगत इस सडक का मार्गाधिकार 120' रखा जाना प्रस्तावित है।

3– आपत्ति संख्या–6 (आपत्तिकर्ता श्री हनुमान प्रसाद तोषनीवाल) के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि मौके पर अवस्थित सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालय परिसर की सीमा का सही अंकन कर शेष भूमि का भू–उपयोग जोनल डवलपमेन्ट प्लान में समीपीय उपयोग अनुसार दर्शाया जाना प्रस्तावित है।

4– आपत्ति संख्या–25 (आपत्तिकर्ता श्री राहूल कान्त माथुर) के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि घड़ी चौराहा से श्यामनगर रोड़ का मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुरूप यथावत् रखा जाना प्रस्तावित है।

5– आपत्ति संख्या–32, 33, 34, 35, 36 एवं 38 (आपत्तिकर्ता श्री पृथ्वीराज एवं अन्य) के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि पूर्व कमीटमेन्ट्स के मद्देनजर सड़क मार्गाधिकार के एलाईनमेन्ट में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

6– आपत्ति संख्या–40 एवं 41 (आपत्तिकर्ता श्री देवेन्द्रसिंह चौहान एवं अन्य) के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि पावटा सी रोड का मार्गाधिकार मास्टर प्लान–2031 अनुसार रखा जाना प्रस्तावित है।

7– आपत्ति संख्या–45 (आपत्तिकर्ता श्री लक्ष्य) के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि मास्टर प्लान–2031 में औद्योगिक इकाई अंकित है, मास्टर प्लान अनुसार आवासीय जोन एवं आसपास आवासीय गतिविधियों के मद्देनजर इस स्तर पर परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है।

8– इसके अतिरिक्त नगर निगम, जोधपुर–दक्षिण द्वारा 4 अन्य सड़कों यथा 1– मोहनपुरा पुलिया से खासबाग, 2– खासबाग से भाटी चौराहा, 3– भाटी चौराहा से पांचबत्ती चौराहा एवं 4– रेलवे स्टेशन चौराहा से पुरी तिराहा तक सड़कों का मार्गाधिकार कम करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चूंकि जोनल डवलपमेन्ट प्लान पर आपत्ति /सुझाव आमंत्रित किये जा चुके हैं। इन सड़कों के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः इन सड़कों का मार्गाधिकार जोनल प्लान प्रारूप के अनुरूप रखा जाना प्रस्तावित है।

इस प्रकार नगर निगम, जोधपुर दक्षिण के जोनल डवलपमेन्ट प्लान पर निर्णय लिया जाकर उक्त जोनल डवलपमेन्ट प्लान को अन्तिम रूप से स्वीकृत करने की अधिकारिता प्राधिकरण में निहित होने से बिन्दु संख्या 1 से 8 के प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: ग्राम पंचायत सेवकी कलां के खसरा संख्या 656/434 रकबा 0.4045 हेक्टेयर किस्म गै.मु. बारानी द्वितीय भूमि पंचायत भवन प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा /प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो एवम टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	ग्राम पंचायत सेवकी कलां के खसरा संख्या 656/434 रकबा 0.4045 हेक्टेयर किस्म गै.मु. बारानी द्वितीय भूमि पंचायत भवन प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

ग्राम पंचायत सेवकी कलां के खसरा संख्या 656/434 किस्म गै.मु. बारानी द्वितीय भूमि पंचायत भवन हेतु प्रपत्र 'स' आवेदन प्रस्तुत किया। जिसमे रकबा 0.4045 हेक्टेयर (2.10 बीघा) भूमि हेतु आवेदन किया गया।

पटवारी रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत सेवकी कलां के खाता संख्या 357 में कुल खसरा संख्या 29 जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम नामा संख्या 1795 दिनांक 09.09.2021 द्वारा दर्ज हुआ है। खसरा संख्या 656/434 किस्म गै.मु. बारानी द्वितीय भूमि पंचायत भवन हेतु भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर में ग्राम पंचायत भवन हेतु मांग की गई है उक्त खसरा संख्या मौके पर वर्तमान में रिक्त हैं तथा झाड़िया खड़ी है। जिसमे जाने का रास्ता खसरा संख्या 443 किस्म गै.मु. आगौर मे से जाता है।

आयोजना शाखा रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत सेवकी कलां का भू-उपयोग मास्टर प्लान -2031 अनुसार Rural area में आरक्षित है। As par DCR of rural area in MDP -2031 Public utilites are allowed Permissible on all roads & Permissible on all roads after approual from competant authority का उल्लैख है। परन्तु मास्टर प्लान -2031 रिपोर्ट की DCR के अनुसार Rural area में Goverment utilites नही दर्शाया गया हैं। विधि शाखा रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद विवाद नही है।

अतः ग्राम पंचायत सेवकी कलां के खसरा संख्या 656/434 किस्म गै.मु. बारानी द्वितीय भूमि पंचायत भवन हेतु रकबा 0.4045 हेक्टेयर (2.10 बीघा) भूमि आवंटन का प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से ग्राम पंचायत सेवकी कलां को ग्राम सेवकी कलां के खसरा संख्या 656/434 में 1000/- वर्ग मीटर भूमि पंचायत भवन हेतु निःशुल्क आवंटन किये जाने की कार्यकारी समिति की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: **राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिक को आरक्षित दर पर भूखण्ड आवंटित करने के संबंध में।**

क्रं. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध
01.	प्रार्थी को विवेक विहार योजना में उपलब्ध रिक्त भूखण्ड, जिसमें प्रार्थी द्वारा सहमति भी दी गयी है। भूखण्ड संख्या डी-57, डी-69, आरक्षित दर पर भूखण्ड आवंटन करने की अनुशंषा की जाती है।	प्रार्थी श्री रूपाराम पटेल राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान प्राप्त शिक्षिक है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर विवेक विहार योजना में आरक्षित दर पर भूखण्ड आवंटन करने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में उपलब्ध रिक्त भूखण्ड संख्या डी-57, डी-69, आरक्षित दर पर भूखण्ड आवंटन करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 17 ए की तालिका के बिन्दु संख्या 4 में राष्ट्रपति से प्राप्त सम्मान शिक्षक को 200 वर्ग.मी तक आरक्षित दर पर भूखण्ड आवंटन करने का प्रावधान है। पत्रावली कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रस्तावानुसार प्रार्थी श्री रूपाराम पटेल राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान प्राप्त शिक्षिक को विवेक विहार योजना में आरक्षित दर पर भूखण्ड संख्या डी-57 आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा में खसरा नं. 18 किस्म गै. मु. गौचर रकबा 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु।

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	33/11 केवी सब स्टेशन हेतु ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा में खसरा नं. 18 किस्म गै. मु. गौचर रकबा 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु।

आवंटन नीति–2015 के प्रावधानो के अनुरूप प्रपत्र–स मय चैक लिस्ट मे आवेदन पेश कर जोधपुर में ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा खसरा संख्या 18 किस्म गै. मु. गोचर 33/11 केवी सब स्टेशन प्रयोजनार्थ हेतु भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पूर्व में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की वैठक दिनांक 04 जुलाई 2019 में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु रखा गया था जिसके प्रस्ताव संख्या 27 के निर्णयानुसार भूमि का आवंटन करने हेतु निर्णय लिया गया था। ततपश्चात् राज्य सरकार को पत्र क्रमांक 3232 दिनांक 02.08.19 को पत्र प्रेषित किया गया था। तत्पश्चात् राज्य सरकार से पुनः पत्र प्राप्त हुआ जिसके अंतर्गत भूमि आवंटन नीति 2015 के बिन्दु संख्या 9.3 के अनुसार आवासीय दर अथवा आवासीय दर की 50 प्रतिशत दर पर भूमि आवंटन की जानी की सूचना चाही गई थी।

अतः प्रकरण में 2500 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर अथवा आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर भूमि आवंटन किये जाने वास्ते प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार 2500 वर्ग मीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त प्रस्तावों के अलावा निम्नलिखित प्रस्ताव बैठक में प्रस्तुत हुए। जिनको टेबल एजेण्डा मानते हुए प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की इस बैठक में प्रस्तुत कर निर्णित करने का निर्णय लिया गया। जो निम्नानुसार है:–

प्रस्ताव संख्या 8 :: Consultancy work for creation/Development and Establishament of padamshree Kailash shankhla smriti van at 8-mile,NH-65 Mandore, Jodhpur की दर स्वीकृति के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्यकारी समिति की आगामी बैठक हेतु एजेण्डा के घोषणा/प्रस्ताव निम्नलिखित है:–

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्णीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है। (FTS क्रमांक JDA/FTS/103468)	Consultancy work for creation/Development and Establishament of padamshree Kailash shankhla smriti van at 8-mile,NH-65 Mandore, Jodhpur की दर स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव।

राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2021–22 के बिन्दू संख्या 2 में उपरोक्त कार्य सम्मिलित है। कार्य निर्माण की विस्तृत परियोजना रिर्पोट (DPR) निर्माण के लिए EOI जारी की गई स्मृति वन निर्माण की अनुमानित लागत 2000 लाख मानी गई। जिसके सन्दर्भ में DPR निर्माण लागत 40.00 लाख आंकी गई (2% Project cost) निविदा (EOI) का तकनीकी एवं वित्तीय मूल्याकन उपरान्त कन्सलटेन्ट श्री प्रदीप किशन न्यूनतम दरदाता घोषित किए गए। कार्य की न्यूनतम दर 64.00 लाख रूपये प्राप्त हुई। दर स्वीकृति समिति द्वारा प्राप्त दर अधिक मानी गई जिसके उपरान्त कन्सलटेन्ट को नेगोशिएशन पत्र क्रमांक EE/N/1249 दिनांक 27.10.2021 जारी किया गया। कन्सलटेन्ट द्वारा 2 चरणों में नेगोशिएशन दरे प्रस्तुत की गई:–

(A) Scope of work:-		42.50 लाख
(B) Additional work other than scop of work:-		
Clearance of prosodic juliflora from entire area of park - methodology, Do's and Don't'	0.50 लाख	
Performance Space inside the Park; also place for Star-Gazing	3.00 लाख	
Night safaris to be conducted within a larger area of Beriganga PF- including mode of operation, route-planning	2.50 लाख	
Dinner Under the Stars- including working design of natural 'rock tables and rock seating, open-air kitchen with rock utility-surfaces	4.00 लाख	
Overnight Camping inside the Park - including route- and site-planning, system of operation, specifications of tents & equipment	3.00 लाख	
	13.00 लाख	**13.00 लाख**
Grant Total		**55.50 लाख**

इस प्रकार कार्य की नेगोशिएशन दरें निम्ननुसार है।

(A) Scope of work	:	42.50 लाख रूपये
GST Extra 18%	:	7.65 लाख रूपये
Total (A)	:	50.15 लाख रूपये
(B)Additianal work other than Scope of work	:	13.00 लाख रूपये
GST Extra 18%	:	2.34 लाख रूपये
Total (B)	:	15.34 लाख रूपये
Grand Total A+B	:	65.49 लाख रूपये

कन्सलटेन्ट द्वारा Additianal work other than scope of work में वर्णित किये गये कार्यो को वन विभाग से अनापति (NOC) प्राप्त होने के उपरान्त ही डी.पी.आर. में सम्मिलित किये जा सकते है। इस बाबत् वन विभाग के अधिकारियों से हुई चर्चा में भी कन्सलटेन्ट द्वारा दी गई संशोधित दरों को उचित माना गया है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण में निर्माण कार्यो हेतु लागू Shedule of power (SOP) में निविदा की दर स्वीकृति के निम्नानुसार प्रावधान है:–

कार्य	शक्तिया	सक्षमता
Consultancy कार्य हेतु	Full power up to 2% of the project cost.	EC (कार्यकारी समिति)

उक्त कार्य का तकमीना 40.00 लाख रू. का स्वीकृत है। तथा उक्त कार्य की दर स्वीकृति की सक्षमता 40.00 लाख EC की सक्षमता में है। जबकि कन्सलटेन्ट श्री प्रदीप किशन की संशोधित दर उपरोक्त सारणी अनुसार राशि 65.49 लाख प्राप्त हुई है।

सक्षम उपापन समिति द्वारा उपरोक्त कार्य की प्राप्त संशोधित दरें राशि 65.49 लाख की स्वीकृति की अनुशंषा की गई तथा सक्षम उपापन समिति द्वारा कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रूपये 65.49 लाख की सक्षमता कार्यकारी समिति (EC) में निहित होने के कारण कार्यकारी समिति (EC) बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया। चुंकि उक्त कार्य की दर स्वीकृति राशि 65.49 लाख के लिए कार्यकारी समिति (EC) सक्षम नहीं है। अतः ~~प्रचलित SOP में~~ उक्त कार्य की दर स्वीकृति की शक्तिया EC (कार्यकारी समिति) में निहित नही होने के कारण प्रकरण स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति (EC) के माध्यम से प्राधिकरण की बैंठक में प्रस्तुत किये जाने की अनुशंषा सक्षम उपापन समिति द्वारा की गई। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति (EC) के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव को दो चरणों में स्वीकृत किया जावे। प्रथम चरण में कार्यकारी समिति की सक्षमता में कन्सलटेन्सी राशि रूपये 40,00 लाख तक की (2 प्रतिशत अधिकतम सीमा) तथा दूसरे चरण में प्राधिकरण बैठक में स्वीकृति के उपरान्त।

चूंकि उक्त कार्य की दर स्वीकृति की सक्षमता कार्यकारी समिति के अधीन राशि 40.00 लाख रूपये की है। अतः प्रथम चरण हेतु कार्य की दर स्वीकृति 42.50 लाख + जीएसटी 18 प्रतिशत अर्थात् 50.15 लाख रूपये की सक्षमता प्राधिकरण में निहित होने के कारण कार्यकारी समिति की 40.00 लाख रूपये की सक्षमता में कार्यादेश दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिसका स्पष्ट अंकन दिये जाने वाले कार्यादेश में किया जावे।

संवेदक द्वारा कुछ कार्य ऐसे प्रस्तावित किये गये हैं जिन्हें वन विभाग की अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही किये जा सकते हैं। उक्तानुसार अन्य कार्यों को सम्मिलित करने के कारण कार्य की दर राशि रूपये 65.49 लाख हो जाती है। जिसकी स्वीकृति की सक्षमता कार्यकारी समिति के अधीन नहीं होने के कारण प्राधिकरण की बैठक में रखने की अनुशंषा की जाती है। साथ ही उपरोक्त कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रूपये 65.49 लाख स्वीकृति की अनुशंषा की जाती है। अतः प्राधिकरण की बैठक में निर्णयार्थ रखने हेतु आगामी बैठक में रखा जावे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या बैठक शाखा / 2020 / भाग–11 / (जे0डी0ए0 / एफ0टी0एस0 / 94294) कार्यकारी समिति बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या ..70.... / एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है। उपरोक्त जारी किये जाने वाले कार्यवाही विवरण के संबंध में किसी भी सदस्य को यदि कोई आपत्ति हो तो वह कार्यवाही विवरण जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा स्थिति में कार्यकारी समिति के निर्णय प्रभावी माने जावेंगे।

(हरमान मीना)
सचिव

क्रमांक / बैठक / 2022 / 965 — 982 दिनांक :: 07-जनवरी, 2022

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय / आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
05- उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेंट काउन्सिल, (RAJREDCO) 307, पिंक टावर, नेहरू गार्डन के सामने, टोंक रोड, जयपुर
06. उपायुक्त–पूर्व / पश्चिम / मुख्यालय / यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर / पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
07. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम (उतर / दक्षिण) जोधपुर
08. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
09. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
10. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड / क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर / बोरानाड़ा
11. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर / प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
12. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
13. निदेशक– अभियांत्रिकी / नियोजन / वित्त / विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. उपायुक्त–पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण / मुख्यालय / उपसचिव / भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. अधीक्षण अभियन्ता–I / II, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
18. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. ....

(हरमान मीना)
सचिव

परिशिष्ट–1

श्री कमर चौधरी, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

श्री अरूण कुमार पुरोहित, आयुक्त, नगर निगम–दक्षिण, जोधपुर
श्री राजेन्द्र सिंह कविया, आयुक्त, नगर निगम–उतर, जोधपुर
श्री सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, उपखण्ड अधिकारी (उतर), जोधपुर
श्री एम.एस. चारण, जोनल चीफ इंजिनियर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
श्री डी.एस. चौहान, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर वृत, जोधपुर
श्री पाबूराम सियाग, अधिशाषी अभियन्ता, डिस्कॉम, जोधपुर
श्रीमती वनिता, सहायक उपायुक्त–पुलिस (यातायात), जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर
श्री रामपाल जमेरिया, प्रबन्धक (प्रशासन), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
श्री गोरधन राम, निरीक्षक, यातायात, जोधपुर
श्री लादुराम विश्नोई, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
श्री मंगलाराम विश्नोई, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
श्री जगदीश कुमार, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
श्री राजेश वर्मा, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
श्रीमती चंचल वर्मा, उपायुक्त–उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
श्री अनिल कुमार पूनिया, उपायुक्त–पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
श्री नीरज मिश्रा, उपायुक्त,–पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
श्री राजेन्द्र सिंह, उपायुक्त–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
श्री श्रवण सिंह, उपायुक्त–मुख्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
श्री राकेश कुमार शर्मा, उप सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
श्री ललित कुमार मतनानी, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर
श्री हरभान मीना, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

000
0